न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर), धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर),
विविध प्रार्थना–पत्र (मुकदमा नम्बर) :– 103/2016 (RCMS No.:2016/00149)
उनवानी प्रकरण :–

1. रामेश्वर पुत्र छिद्दू जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर
2. रामप्रकाश ऊर्फ रामप्रसाद पुत्र छिद्दू जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर (फौत दौराने विचारण प्रार्थना पत्र)
   2/1. महादेवी पत्नी रामप्रकाश ऊर्फ रामप्रसाद जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर
   2/2 लक्ष्मण पुत्र रामप्रकाश ऊर्फ रामप्रसाद जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी.टी. रोड धौलपुर
   2/3 सुखवीर पुत्र रामप्रकाश ऊर्फ रामप्रसाद जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर
   2/4 रनवीर पुत्र रामप्रकाश ऊर्फ रामप्रसाद जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी.टी. रोड धौलपुर
   2/5 दीनदयाल पुत्र रामप्रकाश ऊर्फ रामप्रसाद जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. जी टी. रोड धौलपुर
3. श्यामबाबू पुत्र छिद्दू जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर (फौत दौराने विचारण प्रार्थना पत्र)
   3/1 पूजा कुमार पुत्री श्यामबाबू पत्नि भागीरथ जाति कुशवाह निवासी हाल सेवला जाट आगरा उत्तर प्रदेश ।
4. राजवीर पुत्र छिद्दू जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर
5. विजय कुमार पुत्र छिद्दू जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर
6. फूलवती पुत्री छिद्दू जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर
7. इन्द्रवती पुत्री छिद्दू जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर
8. सरोज पुत्री छिद्दू जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर
9. रामरतन पुत्र दयानन्द जाति कुशवाह निवासी शिकार बाग जी. टी. रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ——————————————————प्रार्थीगण।

बनाम्

1. भारत संघ जरिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई 13, विवेकानन्द कॉलोनी विश्वविद्यालय मार्ग ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
2. नगर पालिका मण्डल धौलपुर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका धौलपुर
3. सक्षम अधिकरी पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर —————— अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बावत मुआवजा राशि की कीमत तय कर दिलाने बावत ।

(नन्दलाल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर (राजस्थान)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से :– श्री योगेन्द्र सिहं कुशवाह अभिभाषक
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से :– श्री दिलीप ठाकुर अभिभाषक
7. प्रार्थी संख्या 03 की ओर से :– श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 09.07.2018

निर्णय

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 47/2011 उनवानी प्रकरण रामेश्वर सिंह वगैरा बनाम एन.एच.ए.आई. निर्णय दिनांक 17.07.2012 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर ने रिट पिटीशन संख्या 2879/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2015 द्वारा निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण अन्दर म्याद माना जाता है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 467 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा स्थित कस्वा धौलपुर में प्रार्थीगण 1 लगायत 8, 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है और 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 9 है। उक्त खसरा नम्बर में स्व0 लीलावती पत्नी स्व0 छिद्दू प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 8 के साथ उक्त 1/2 भाग में खातेदार काश्तकार रही जो फौत हो चुकी है। जिसका समस्त तर्का व हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने प्राप्त किया है जो स्व0 लीलावती के जायज कायम मुकाम वारिसान है एवं लीलावती के हिस्से का मुआवजा प्राप्त करने के कानूनन वैध अधिकारी व दावेदार है। उपरोक्त खसरा नम्बर 467 में से तृतीय अवार्ड में 301 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के चौडा करने के लिए अवाप्त की गई है। उक्त खसरा नम्बर विकसित है जिसके आस पास होटल पेट्रोल पम्प व व्यावसायिक क्षेत्र है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने अवार्ड दिनांक 01.11.2010 में यह तथ्य सही अंकित नही किया है कि प्रार्थीगण ने कोई क्लेम प्रस्तुत नही किया है प्रार्थी संख्या 9 की ओर से प्रकाशन तिथि दिनांक 20.02.2010 के बाद दिनाकं 09.03.2010 को अपना क्लेम सक्षम अधिकारी धौलपुर के यहाँ प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर धौलपुर ने जो डी.एल.सी. प्रस्तावित की है उसमें सडक से लगी हुई खाली भूमि के लिए 20 फुट गहराई तक वाणिज्यिक दर से भूमि की कीमत तय किया जाना माना है, लेकिन सक्षम अधिकारी ने मनमाने तौर पर बिना कोई कारण अंकित किये 1008 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा तय किया है जो बिल्कुल गलत है। वस्तुतः मुआवजा तय करते समय उस भूमि की सडक पर क्या पोटेशियल वैल्यू है उसके आधार पर मुआवजा तय किया जाना चाहिए। उपरोक्त खसरा नम्बर के आगे व ग्वालियर की ओर व आगरा की ओर पूर्व में भी 25,000/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा पारित कर अदा किया गया है इस खसरा नम्बर से ग्वालियर की ओर चम्बल पुल से पहले सागरपाडा पर 27984/–रूपये प्रति वर्गमीटर की डीएलसी तय की गई है। जबकि यह क्षेत्र सागरपाडा से अधिक विकसित क्षेत्र है। उक्त अवाप्त किया गया भाग सडक पर लगा

(नन्नूमल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर

हुआ है। जिसके प्रार्थीगण खातेदारान है। अतः व्यावसायिक दर की 9293/–रूपये प्रति वर्गमीटर से भी गणना करने पर 27,97,193/–रूपये की राशि आती है जबकि मौके पर इसकी कीमत 25000/–रूपये प्रति वर्गमीटर से कम नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी संख्या 3 द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 01.11.2010 को संशोधित कर खसरा नम्बर 467 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा स्थित कस्वा धौलपुर में से 301 वर्गमीटर भूमि का उचित मुआवजा तय किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री दिलीप ठाकुर अभिभाषक ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दर्ज कराई ।

अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील के असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं मिले अतः अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये ।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया है क्योंकि सम्पत्ति/जमीन का मूल्य निर्धारण अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा नहीं किया गया है बल्कि सक्षम अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) द्वारा किया गया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को मूल्य निर्धारण करने की जिम्मेदारी नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 सी की उप धारा 2 के अनुसार प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अवार्ड विधिवत सभी नियमों का पालन करते हुए पारित किया गया है जो धारा 3 सी की उप धारा 3 व धारा 3 (जी) (1) के अन्तर्गत अंतिम हो चुका है। सडक चौडी करने एंव समस्त कार्य निष्पादन करने हेतु भूमि लोक प्रयोजनार्थ व राष्ट्रहित के लिए प्रयुक्त की जा रही है। जिसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 467 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा कस्वा धौलपुर में स्थित होने बावत आपत्ति नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत सर्वे कराने के पश्चात् रिपोर्ट के आधार पर नियमों का पालन करते हुए प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही अवार्ड का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र मध्यस्थता अधिनियमय 1966 के अन्तर्गत अवधि बाहर प्रस्तुत किया गया है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 119 के अन्तर्गत किसी पंचाट को अपास्त कराने या किसी पंचायत को पुनः विचारार्थ कराने के लिए निर्णय/अवार्ड 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकता है। अवार्ड दिनांक 01.11.2010 को पारित किया जा चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा समयावधि में कोई कार्यवाही न करने से प्रार्थीगण का आवेदन पत्र समयावधि के बाहर होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 2879/2014 रामेश्वर बनाम एन.एच.ए.आई. में पारित निर्णय दिनांक 22.7.2015 की प्रतिलिपि पेश की ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के अभिभाषक ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 467 में से तृतीय अवार्ड में 301 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के

(नन्नूमल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर (राज.)

चौडा करने के लिए अवाप्त गई है। उक्त खसरा नम्बर विकसित है जिसके आस पास होटल पेट्रोल पम्प व व्यावसायिक क्षेत्र है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने अवार्ड दिनांक 01.11.2010 में यह तथ्य सही अंकित नहीं किया है कि प्रार्थीगण ने कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया है प्रार्थी संख्या 9 की ओर से प्रकाशन तिथि दिनांक 20.02.2010 के बाद दिनांक 09.03.2010 को अपना क्लेम सक्षम अधिकारी धौलपुर के यहाँ प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर धौलपुर ने जो डीएलसी प्रस्तावित की है उसमें सडक से लगी हुई खाली भूमि के लिए 20 फुट गहराई तक वाणिज्यिक दर से भूमि की कीमत तय किया जाना माना है, लेकिन सक्षम अधिकारी ने मनमाने तौर पर बिना कोई कारण अंकित किये 1008/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा तय किया है जो बिल्कुल गलत है। वस्तुतः मुआवजा तय किये जाते समय उस भूमि की सडक पर क्या पोटेशियल वैल्यू है उसके आधार पर मुआवजा तय किया जाना चाहिए। उपरोक्त खसरा नम्बर के आगे व ग्वालियर की ओर व आगरा की ओर पूर्व में भी रूपये 25,000/–प्रतिवर्गमीटर की दर से मुआवजा पारित कर अदा किया गया है इस खसरा नम्बर से ग्वालियर की ओर चम्बल पुल से पहले सागरपाडा पर 27984/–रूपये प्रति वर्गमीटर की डीएलसी तय की गई है। जबकि यह क्षेत्र सागरपाडा से अधिक विकसित क्षेत्र है। उक्त अवाप्त किया गया भाग सडक पर लगा हुआ है। जिसके प्रार्थीगण खातेदारान है। अतः व्यावसायिक दर की 9293/–रूपये प्रति वर्गमीटर से भी गणना करने पर 27,97,193/–रूपये की राशि आती है जबकि मौके पर इसकी कीमत 25000/–रूपये प्रति वर्गमीटर से कम नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी संख्या 3 द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 01.11.2010 को संशोधित कर खसरा नम्बर 467 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा स्थित कस्वा धौलपुर में से 301 वर्गमीटर भूमि का उचित मुआवजा तय किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जबाव में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की राशि तय करने से पूर्व नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 ए की उप धारा (3) के अधीन दो समाचार पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन कराया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई एवं अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की गई इसके पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 3 बी, सी, डी, ई एफ एंव जी के अन्तर्गत प्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य को विचार में लेकर विधिवत नियमों का पालन करते हुए अवार्ड के समय प्रचलित एवं प्रसारित नियमों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया है जो अवार्ड की श्रेणी में आता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया है क्योंकि सम्पत्ति/जमीन का मूल्य निर्धारण अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा नहीं किया गया है बल्कि सक्षम अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) द्वारा किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 सी की उप धारा 2 के अनुसार प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अवार्ड सभी नियमों का पालन करते हुए विधिवत पारित किया गया है जो धारा 3 सी की उप धारा 3 व धारा 3 (जी)(1)के अन्तर्गत अंतिम हो चुका है। सडक चौडी करने एंव समस्त कार्य निष्पादन करने हेतु भूमि लोक प्रयोजनार्थ व राष्ट्रहित के लिए प्रयुक्त की जा रही है। जिसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

(नन्दलाल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर

अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि मुआवजा निर्धारण में मात्र डी एल सी दर ही नहीं देखी जाती बल्कि भूमि का उपयोग, उसकी अवस्थिति आदि को ध्यान में रखा जाता है। पंजीयन विभाग द्वारा यदि 20 फीट तक वाणिज्यिक दर से पंजीयन भी किया जाता है तो उससे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं हो जाती है। भूमि के मुआवजा निर्धारण में भूमि की किस्म, भूमि की अवस्थिति, भूमि का उपयोग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के 75 फीट तक निर्माण बर्जित होने के कारण मुआवजे हेतु वाणिज्यिक दर से मूल्यांकन किया जाना उचित नहीं है। मुआवजा निर्धारण में मात्र डीएलसी दर ही नहीं देखी जाती बल्कि भूमि का उपयोग, उसकी अवस्थिति आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। पंजीयन विभाग द्वारा यदि 20 फीट तक वाणिज्यिक दर से पंजीयन भी किया जाता है तो उससे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं हो जाती है। मुआवजा तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेशनल हाइवे रोड पर 75 फीट तक निर्माण वर्जित होने के कारण उक्त भूमि पर निर्माण ही नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खाली है। भूमि खाली होने के कारण भूमि की वाणिज्यिक उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। अतः भूमि के मुआवजे का निर्धारण वाणिज्यिक दर से नहीं किया जा सकता है। चूँकि भूमि गैर मुमकिन आवादी होने के कारण आवासीय दर से भूमि का मुआवजा दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 सी की उप धारा 2 के अनुसार प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अवार्ड सभी नियमों का पालन करते हुए विधिवत पारित किया गया है, जो धारा 3 सी की उपधारा 3 के तहत अन्तिम हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया। बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि:–

1. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण को अन्दर म्याद मानते हुए सुनवाई की गई है।
2. अप्रार्थी नम्बर 1 के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 सी की उप धारा 2 के अनुसार प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अवार्ड सभी नियमों का पालन करते हुये विधिवत पारित किया गया है, जो धारा 3 सी की उपधारा 3 के अन्तिम हो चुका है।
3. अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत हैं कि मुआवजा निर्धारण में मात्र डी एल सी दर ही नहीं देखी जाती बल्कि भूमि का उपयोग उसकी अवस्थिति आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। भूमि के मुआवजा निर्धारण में भूमि की किस्म, भूमि की अवस्थिति भूमि का उपयोग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के 75 फीट तक निर्माण बर्जित होने की शर्त आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। मुआवजा तहसीलदार धौलपुर की रिर्पोट के आधार पर निर्धारित किया गया है। दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह कहना उचित नहीं है कि डी एल सी के आधार पर ही किसी भी सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। पंजीयन अधिकारी के समक्ष किया जा रहा मूल्यांकन मात्र मुद्रांक कर के उद्देश्य से होता है। अन्य सुसंगत तथ्य पंजीयन अधिकारी के लिए विचारणीय नहीं होते, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा रहा मूल्यांकन सभी तथ्यों पर विचार करके ऑकलन कर तय किया जाता है, एवं सक्षम

(नन्नूमल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर

अधिकारी का क्षेत्राधिकार एवं दायित्व काफी व्यापक है। जबकि पंजीयन अधिकारी के प्रकरण में ऐसा नहीं हैं।

4. अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत हैं कि तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खाली है। वर्जित निर्माण की शर्त एवं तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खाली होने के कारण भूमि की वाणिज्यिक उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। अतः भूमि के मुआवजे का निर्धारण वाणिज्यिक दर से नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि वाणिज्यिक भूमि होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। भूमि गैर मुमकिन आवादी होने के कारण आवासीय दर से भूमि का मुआवजा दिया गया है। जहॉ तक प्रश्न किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा दिये जाने का है। इस तथ्य को प्रार्थीगण नजीर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक प्रकरण अपने आप में अलग होता है और स्वंतत्र निर्णय की अपेक्षा रखता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 9.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एन. एम. पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलेक्टर)
धौलपुर

एन.एम. पहाड़िया
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलेक्टर) धौलपुर